न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-प्रदीपसिंह सागांवत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 103/2022
पंजीयन दिनांक 4.7.2022

(1). मांगीलाल पिता गुलाबचंद ब्राहमण निवासी-नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।

-अपीलांट

बनाम

(1) राधेश्याम गोदी पुत्र चम्पालाल ब्राहमण निवासी-नपानिया ।
(2)राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर ।
3.राधास्वामी सतसंग व्यास रजि.संस्था जरिये सेकेटरी ओमप्रकाश सुखेजा पिता नानकराम सुखेजा निवासी-उदयपुर ।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 233/2021 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.4.2022

उपस्थित वक्त बहस-(1). चन्दनमल जणवा -अधिवक्ता अपीलांट
(2).'श्यामलाल 'शर्मा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या02

निर्णय **दिनांक 27.12.2023**

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद विचारण न्यायालय उखण्ड अधिकारी भदेसर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-188-209 के अन्तर्गत मौजा मौजा खोखरिया खेडी तहसील भेदसर की साबिक आराजी नम्बर 145/1ख रकबा 40 बीघा कृषि आराजियात चेनसिंह 'शक्तावत से चम्पालाल वीरभान नारायण गुलाबचंद सुखलाल व 'शंकरलाल द्वारा संयुकत रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया 'शंकरलाल व सुखलाल द्वारा अपने हिस्से की कृषि आरायित सिपुर्द करने के पश्चात 'शेष कृषि आरायिात में प्रत्येक का 1/4 ,1/4 हिस्सा है इस बाबत समझोता पत्र भी प्रस्तुत किया रेस्पोडेन्ट वादी के गोदी पिता चम्पालाल द्वारा दिनांक28.8.2000 को रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित करवाया रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा ही स्व.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चम्पालाल व उसकी पत्नी की सेवा की चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के पक्ष में दिनांक 28.8.2008 को वसीयत नामा निष्पादित कर रेस्पोडेन्ट वादी को सिपुर्द किया । रेसपोडेन्ट वादी के गोदी पिता की दिनांक 5.4.2014 को मृत्यु हो जाने के पश्चात पुश्तैनी आराजियात व कय की गयी आराजी नम्बर 145/1ख में से 6 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है रेस्पोडेन्ट वादी के गोदी पिता के छोटे भाई गुलाबचंद के पुत्र अपीलांट को वादी के गोदी पिता को हस्तानांतरित करने का अधिकार नही होते हुये दस्तावेजो की कृट रचना करते हुये रस्पोडेन्ट वादी के जानकारी में लाये बिना आराजी नम्बर 145/1ख करीब 26 बीघा कृषि आराजित अपीलांट ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिसमें से रेस्पोडेन्ट वादी अपना 1/4 हक व हिस्सा घोषित कराने व उसी अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होने का अधिकारी बताते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टरकिया जाकरसम्मन नोटिस जारी किये व अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही कर एक पक्षिय निर्णय व डिकी पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वडिकी से असन्तुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी ने इस न्यायालय में म्याद बहार अपील प्रस्तुत की व म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु धारा-5 का प्रार्थना-पत्र मय 'शपथ पत्र प्रस्तुत किया ।

अपीलांट की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेन्प्टगण को जरिये सम्मन नोटीस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हम किता की गयी । पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी ।

अपीलांट प्रार्थी की ओर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद अधिनियम मय 'शपथ पत्र में अंकित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलांट की ओर प्रस्तुत अपील अन्दन मयाद 'शुमार की जाती है ।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदनरकिया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट की किसी प्रकार की तामील नहीं हाते हुये एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया है व रेस्पोडेन्ट वादी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में दस्तावेज गोद नामा व वसीयत नामा व इकरार नामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट वादी का वाद पत्र प्रमाण्ति नहीं होता है फिर भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट ावादी का वाद पत्र प्रमाणित होना मानते हुये डिकी किया है जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने अपने बहस में अंकित किया है कि रेस्पोंडेन्ट वादी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में गोदी पिता चंपालाल का गोदपुत्र होने के आधार पर चंपालाल के द्वारा संयुक्त रूप से खरीद 'शुदा आराजियात के संबध मे घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट की प्रोपर तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से एक पक्षिय कार्यवाही करते हुये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से वाद पत्र प्रमाणित होना मानते हुये निर्णय वडिकी पारित की है जो विधि सम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदनकिया गया ।

राजकीय अधिवकता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना बताया साथ ही यह निवेदनकिया कि निर्णय वडिक्री की पालना होकर अपीलांट ने उक्त कृषि आराजियात अपनी खातेदारी में होने से दिनोंक 20.6.2022 को अपील प्रस्तुती के पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को पंजीकृत बहनामे से हस्तानांतरित कर दी है ऐसी स्थिति में अपीलांट जब तक पंजीकृत बहनामें कों निरस्त नहीं करवा लेता है तब तक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

हमने उभयपक्षके अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया पत्राववलियों का अवलोकन किया गया पत्रावलियो में प्रस्तुत दस्तावेज को गहनता से अवलोकन किया विवादित आराजियात रेस्पोडेन्ट वादी के गोदी पिता ने अन्य केतागण के साथ चेनसिंह 'शक्तावत से क्रय की है जिसमें रेस्पोडेन्ट वादी के पिता चम्पालाल का उक्त कृषि आराजियात में 1/4 हक व हिस्सा निहित रहा है फिर भी अपीलांट प्रतिवादी के पिता ने उक्त कृषि आराजियात में 2/3 हिस्सा अंकित करवा लिया है रेस्पोडेन्ट वादी ने चम्पालाल का गोदी पुत्र होना भी विचारण न्यायालय में साबित हुआ है व निर्णय व डिक्री की इजराय होकर उक्त कृषि आराजियात पंजीकृत बहनामें से राधास्वामी सतसंग को अपील प्रस्तुती से पूर्व दिनांक 20.6.2022 को हस्तानांतरित हो चुकी है पंजीकृत बहनामें को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है जिससे अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं हे ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है ओर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 233/2021 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.4.2022 यथावत रखी जाती है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 103/2022/डिक्री

(1). मांगीलाल पिता गुलाबचंद बाहमण निवासी-नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ ।

-अपीलांट

बनाम

(1) राधेश्याम गोदी पुत्र चम्पालाल ब्राहमण निवासी-नपानिया ।

(2)राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर ।

3.राधास्वामी सतसंग व्यास रजि.संस्था जरिये सेकेटरी ओमप्रकाश सुखेजा पिता नानकराम सुखेजा निवासी-उदयपुर ।

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 233/2021 निर्णय व डिकी दिनांक 18.04.2022 वाद पत्र धारा 88-188-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है ओर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 233/2021 निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.4.2022 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ